राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक:–एफ 40(54)ग्रावि/नरेगा/मॉ. अपूर्ण कार्य /2013 जयपुर, दिनांक : 27/6/19

27 JUN 2019

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के ऐसे कार्य, जिन पर अब तक स्वीकृत राशि की 50 प्रतिशत राशि व्यय हो चुकी है, को दिनांक 10.07.2019 तक पूर्ण कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार द्वारा आगामी मानसून में होने वाली वर्षा के जल के अधिकतम सदुपयोग एवं संघन पौधारोपण हेतु राज्य के समस्त सरपंचगणों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) के ऐसे कार्य, जिन पर अब तक स्वीकृत राशि की लगभग 50 प्रतिशत राशि व्यय हो चुकी है, उन्हें दिनांक 10.07.2019 तक पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया है।

अतः उक्तानुसार आपके जिले में योजनान्तर्गत 50/50 से अधिक प्रतिशत व्यय राशि के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के स्वीकृत कार्य को दिनांक 10.07.2019 तक पूर्ण कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :–

- लाईन विभागों से कन्वर्जेन्स के तहत स्वीकृत कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए संबंधित लाईन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर अपूर्ण कार्यो की समीक्षा करते हुये पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।
- योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं से कन्वर्जेन्स के तहत स्वीकृत कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु प्रभावी समीक्षा कर अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।
- ऐसे कार्य जो, भौतिक रूप से पूर्ण हो चुके है, लेकिन सामग्री अथवा कुशल श्रमिकों का भुगतान होना शेष है, को एमआईएस पर तत्काल भौतिक रूप से पूर्ण दर्शाया जावे।
- योजनान्तर्गत एनआरएम कार्यो से संबंधित सूचना नरेगा सॉफ्ट पर उपलब्ध रिपोर्ट **R6.18 Dynamic Report for Monitoring and details of works** के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- आपके जिले में योजनान्तर्गत एनआरएम के ऐसे कार्य, जिन पर अब तक स्वीकृत राशि की लगभग 50 प्रतिशत राशि व्यय हो चुकी है, की सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न प्रपत्र में 01.07.2019 तक जरिये ईमेल–cmsnrega.raj@gmail.com भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(पी.सी.किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रांविपंरावि.।
2. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान ।
4. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान ।
5. एमआईएस प्रभारी कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

परि. निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट 'अ'

जिले का नाम	एनआरएम कार्य (संख्या)				
	स्वीकृत कार्य	ऐसे कार्य जिसमें अब तक कम से कम 50 प्रतिशत राशि व्यय हो चुकी है	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य (जिन्हें 10.07.2019 तक पूर्ण कराया जाना है)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6

Scanned by CamScanner